भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

नगर प्रशासन विभाग

निविदा प्रपत्र

बी.एच.ई.एल. लोक परिसर, भोपाल में स्थित सारंगपाणी झील में मछली पालन कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु निविदा।

निविदा सूचना क्र. न.प्र./दु.प्र./सा.पा.झी./2020/1012A दिनांक: 09/02/2021

1. बी.एच.ई.एल. लोक परिसर, भोपाल के ए-सेक्टर, पिपलानी में स्थित सारंगपाणी झील में मछली पालन कार्य की अनुमति लाइसेंस आधार पर प्रदान किये जाने हेतु इच्छुक एजेंन्सियों से निविदाएँ आमंत्रित की जा रहीं है। आरक्षित लाईसेंस शुल्क संबंधी विवरण, निविदा के नियम व शर्ते आदि इस निविदा प्रपत्र में दिये गये है। निविदा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नानुसार है :

तालिका क्र. 1

क्र	निविदा का प्रकार: खुली निविदा – दो भाग (तकनीकी व वाणिज्यिक) प्रणाली में।	
1	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का दिनांक एवं समय (निविदा www.bhel.com से भी निविदा दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकता है)	दिनांक 10/02/2021 से 03/03/2021 तक समस्त कार्य दिवस पर प्रात: 09:00 बजे से अप: 12:00 बजे तक।
2	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने, निविदा पूर्व बैठक, शंका-समाधान, आदि हेतु नियत स्थान	प्रबंधक (न.प्र.) का कार्यालय, कक्ष क्र. 27, दुकान प्रकोष्ठ, नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल न0 4,पिपलानी, बीएचईएल, भोपाल।
3	निविदा प्रपत्र का मूल्य (वेबसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा में भी शुल्क देय होगा)	रू. 1000/- (रू. एक हजार मात्र) + 18% जीएसटी प्रति निविदा (क्रेडिट/डेबिट कार्ड/डीडी के माध्यम से देय, न.प्र. विभाग के राजस्व अनुभाग में कार्य दिवसों पर प्रात: 09:00 बजे से अप: 12:00 बजे के बीच जमा की जा सकती है।
4	निविदा पूर्व बैठक का दिनांक व समय	दिनांक 23/02/2021 अप: 02:30 बजे
5	निविदा दस्तावेज़ जमा करने का अंतिम दिनांक	दिनांक 04/03/2021 सुबह 10:00 बजे तक
6	तकनीकी निविदा खुलने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 04/03/2021दोपहर 03.00 बजे नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल न0 4, पिपलानी,, बीएचईएल, भोपाल।
7	धरोहर राशि (EMD) जमा	रू. 18854/-
8	कार्य प्रारंभ करने की संभावित तिथि	लाइसेंस अनुबंध की दिनांक से
9	निविदा की वैधता	निविदा खुलने की दिनांक से 06 माह तक

2. बीएचईएल द्वारा निविदाकार की सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। ऐसी निविदा सिधे तौर पर अस्वीकार कर दी जायेगी।
3. पूर्णत: भरी हुई एवं हस्ताक्षरित (क) तकनीकी निविदा 'परिशिष्ट – 2' व (ख) वाणिज्यिक निविदा 'परिशिष्ट -3' को अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में रखकर जमा करना अनिवार्य है।
4. संबन्धित मुहरबंद लिफाफे के ऊपर **तकनीकी निविदा/ वाणिज्यिक निविदा** लिखना आवश्यक है।
5. दोनों लिफाफों कों एक बड़े लिफाफे में मुहर बंद कर उसके ऊपर निविदा सूचना क्र. न.प्र./दु.प्र./सा.पा.झी./2020/1012A लिखकर लिफाफे पर अपनी मुहर/रबड़ स्टैम्प/हस्ताक्षर लगाकर जमा करना होगा।
6. निविदा प्रपत्र वेबसाईट **www.bhel.com** से डाउनलोड की जा सकती है इस दशा में निविदा प्रपत्र शुल्क डी.डी के माध्यम से जो कि बी.एच.ई.एल. भोपाल के नाम देय होगा तकनीकी निविदा के साथ मुहरबंद लिफाफे में डालना होगा, निविदा प्रपत्र शुल्क देय बिना प्राप्त तकनीकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
7. **निविदा दस्तावेज: तकनीकी विड, वाणिज्यिक बिड तथा निविदा के निबंधन व शर्तें, आदि यथा परिशिष्ट 1, 2 व 3 आदि को प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्यके पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर मुहर/रबर स्टांप लगाकर जमा करना होगा जिसका अभिप्राय है कि निविदा में उल्लिखित नियम व शर्ते निविदाकार को स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित अथवा अपूर्ण निविदा अमान्य होगी एवं उस पर विचार न करते हुए उसे अस्वीकृत किया जा सकता है। तकनीकी रूप से योग्य निविदाओं की ही वाणिज्यिक बिड खोली जाएंगी।**

8. **निविदा भरने से पहले निविदाकर्ता मछलि पालन हेतु झील की उपयुक्तता निरीक्षण कर भौतिक एवं वास्तविक स्थिति सुनिश्चित कर लें।**

9. वाणिज्यिक बिड में अधिकतम लाइसेंस शुल्क उद्धरणकर्ता (Highest Bidder/H-1) को बी.एच.ई.एल. भोपाल लोक परिसर में स्थित सारंगपाणी झील में दो वर्ष के लाइसेंस पर मछली पालन कार्य करने हेतु पात्र माना जाएगा।
10. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि (EMD) को अनुमति पत्र जारी किए जाने पर प्रतिभूति जमा (SD) में समायोजित किया जाएगा तथा असफल निविदाकारों की धरोहर राशि (बिना ब्याज के) ईसीएस द्वारा अनुमति पत्र जारी होने के सामान्यतया 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी, इस हेतु असफल निविदाकार को आवेदन कर रसीद की मूल प्रति, बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा।
11. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि (EMD) निम्नलिखित दशाओं में जब्त कर ली जाएगी :-
    - 11.1 अनुमति पत्र प्राप्ति से पूर्व निविदा की नियम व शर्तों से मुकरने पर।
    - 11.2 बी.एच.ई.एल. द्वारा जारी आशय पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लाइसेन्स लाइसेंस शुल्क जमा नहीं करने और/अथवा शुल्क जमा कर 07 दिनों के भीतर लाइसेंस अनुबंध निष्पादित नहीं करने पर।
12. निविदा आवेदन पत्र में लाइसेंसी द्वारा दिये पते/संपर्कसूत्र (ई-मेल, मोबाइल नंबर आदि) पर बी.एच.ई.एल. प्राधिकारी द्वारा प्रेषित किया गया कोई भी संदेश/जानकारी/सूचना मान्य होगी जैस कि रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी गई सूचना, ई-मेल आदि।
13. निविदा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन (यदि कोई) की सूचना वेबसाइट www.bhel.com पर प्रदर्शित की जाएगी।
14. निविदाकार किसी भी शंका, संशय, समाधान, आदि हेतु निविदा प्रक्रिया के दौरान तकनीकी बिड खुलने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी से लिखित रूप में संपर्क कर सकता है। निविदाकार संपूर्ण रूप से स्पष्ट होकर ही निविदा प्रक्रिया में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें।
15. निविदाकार को निविदा के सभी नियम एवं शर्तें मान्य होंगी। निविदा के किसी भी नियम व शर्तें न मानने की दशा में निविदाकार को निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपात्र घोषित कर निविदा प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा।
16. 'जैसा है – जहाँ है' के आधार पर सारंगपाणी झील मछील पालन हेतु दी जायेगी।
17. विद्युत, साफ-सफाई, एवं पानी आदि के लिये अतिरिक्त प्रभार बीएचईएल प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरो के आधार पर देय होगा।
18. निविदा भरने से पूर्व निविदाकर्ता को सूची/नक्शों की उपयुक्ता हेतु संबंधित क्षेत्र में स्थलों का भौतिक एवं वास्तविक निरीक्षण कर निविदा भरना होगा जिसका यह तात्पर्य होगा कि निविदाकार प्रदत्त स्थलों से संतुष्ट है।
19. निविदा संबंधी किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अपर महाप्रबंधक (नगरीय) का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

बी.एच.ई.एल. के लिए तथा उसकी ओर से

प्रबंधक (न.प्र.)

निविदा आवेदन प्रपत्र

निविदाकार का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो

प्रति,

प्रबंधक, (नगर प्रशासन – दु. प्र.)
नगर प्रशासन विभाग, सम्पदा भवन,
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
पिपलानी, भोपाल, म. प्र. – 462022

विषय: बी.एच.ई.एल. लोक परिसर भोपाल में लाइसेन्स आधार सारंगपाणी झील में मछली पालन कार्य हेतु आवेदन।

निविदाकर्ता का विवरण:

1.निविदाकार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : ____

2. निविदाकार के पिता / पति/निदेशक (कंपनी की स्थिति में) का नाम ____________________________

3. निविदाकार की आयु _____वर्ष

4. लिंग _____________

5. निविदाकार के कार्यालय का पूरा पता :

____

____ पिन:________________

5.अ. निविदाकार के निवास का पूरा पता :

____

____ पिन:________________

6. टेलीफोन नं. ______________ मोबाइल नं. (1)______________ मोबाइल नं. (2)____________

7. निविदाकार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ई-मेल आईडी: ______________________________

8. निविदाकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण, यदि कोई हो:

9. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम ____

10. टेलीफोन नं. ______________ मोबाइल नं. (1)______________ मोबाइल नं. (2)______________

11. आईडी प्रूफ ________________________12. निविदाकर्ता एजेंसी के साथ अनुभव __________________

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि सारंगपाणी झील को मछली पालन हेतु उपयुक्त पाता हूँ और पूरी तरह से झील की वस्तुस्थिति से अवगत एवं संतुष्ट हूँ। मैंने निविदा प्रपत्र में उल्लेखित नियम व शर्तों को एवं लाइसेंस अनुबंध के निबंधन व शर्तों (परिशिष्ट-1) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है जो कि मुझे स्पष्ट एवं स्वीकार है।

दिनांक: ____________________

स्थान: ____________________

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर

इस आवेदन पत्र को तकनीकी बिड के साथ मुख पृष्ठ के रूप में रखें।

परिशिष्ट-1

निबंधन व शर्तें

1. लाइसेंस की अवधि अनुबंध के निष्पादन के दिन से दो वर्ष की होगी।
2. लाईसेंस पूर्णतः अस्थाई होगा, लाईसेंस के नियम व शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से कभी भी लाईसेंस निरस्त किया जा सकता है।
3. झील जिस स्थिति में अभी है उसी स्थिति में मछली पालन हेतु लेनी होगी।
4. प्रत्येक वर्ष लाईसेंसशुल्क अग्रिम जमा करना होगा, द्वितीय वर्ष का लाईसेंसशुल्क प्रथम वर्ष के लाईसेंसशुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर देय होगा।
5. लाइसेंसी को प्रतिभूति जमा (SD) बावत दोनो वर्ष का कुल लाइसेन शुल्क का 5 प्रतिशत राशि जमा करना होगा।
6. लाइसेंस पर दी जाने वाली सारंगपाणी झील का क्षेत्र एवं भौगोलिक स्थिति निम्नानुसार हैं:-
   स्थलः- सारंगपाणी झील,ए -सेक्टर, पिपलानी, भेल-भोपाल

क्षेत्रफल:-	2.2 एकड़ लगभग
उत्तर में:-	खुला मैदान
दक्षिण में:	बांध
पश्चिम में:	मस्जिद
पूर्व में:	सड़क

7 झील का जल स्तर किसी भी कारणवश कम या अधिक हो जाने अथवा झील के बिलकुल सूख जाने अथवा ऊपर से जल बह जाने (ओव्हर फ्लो हो जाने) के कारण लाइसेंसी को यदि कोई क्षति हो जाती है तो भेल प्रबंधन पर कोई दायित्व नहीं होगा लाइसेंस की राशि में भी किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।

8 लाइसेंसी झील का उपयोग मछली पालन और मछली पकड़ने के अलावा अन्य किसी प्रयोजन (जैसे सिंघाडे, कमल, गटरा आदि की उपज) के लिए नहीं कर सकेगा।

9 लाइसेंसी झील का या उसके समीप की किसी भी क्षेत्र सम्पत्ति का अनाधिकृत उपयोग नहीं करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अथवा क्षेत्र की क्षति होती है तो लाइसेंसी को उसकी क्षति पूर्ति करना होगा एवं इससे उत्पन्न अन्य कानूनी उत्तरदायित्वों के उल्लंघन के लिए भी लायसेंसी स्वयं उत्तरदायी होगा।

10 लाइसेंस पूर्णतः अहस्तांतरणीय होगा। लाइसेंसी यह लाइसेंस अपने किसी संबंधी, व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। हस्तांतरण करने पर लाइसेंस स्वतः समाप्त माना जाएगा।

11 लाइसेंसी द्वारा झील में व्यक्ति विशेष जनता, संस्था या भेल प्रबंधन के किसी विद्यमान निस्तार अधिकार अथवा झील के पानी के उपयोग पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।

12 लाइसेंसी झील के धार्मिक, सार्वजनिक एवं वर्जित स्थलों की परिधि में मत्स्याखेट नहीं करेगा।

13 लाइसेंसी झील की साफ-सफाई का पूरा जिम्मेदार होगा। झील में विषैली वस्तु, विस्फोटक अथवा अन्य प्रदूषण कारक वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा।

14 बीएचईएल प्रबंधन के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि आवश्यकता होने पर प्रबंधन सारगपाणी झील का उपयोग बोटिंग के लिए कर सकता है।

15 लाइसेंसी को अपने निवास एवं निस्तार के लिए कच्चा निर्माण कम से कम स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जायेगी। परन्तु इसके लिए लाइसेंसी को लिखित आवेदन करना होगा।

16 लाइसेंसी को किसी भी स्थिति में पक्के निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

17 लाइसेंसी को मत्स्य पालन में लगने वाली आर्थिक पूंजी/लागत/खर्च आदि एवं जोखिम आदि उसके स्वयं के होगें। इस कार्य/व्यापार के लिए भेल प्रबंधन द्वारा कोई आर्थिक सहायता/अनुदान या ऋण नहीं दिया जायेगा।

18 इस लाइसेंस संबंधी किसी भी मामले पर भेल प्रबंधन द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब लाइसेंसी 10 (दस) दिन के अन्दर प्रस्तुत/प्रेषित करेगा। अन्यथा भेल प्रबंधन अपना अंतिम निर्णय लेकर उचित कार्यवाही करेगा।

19 लाइसेंसी अपने व्यवसाय प्रचार प्रसार के लिए यदि कोई साईन बोर्ड होर्डिंग आदि झील के किनारे/क्षेत्र में लगाना चाहे तो उसे इसकी अनुमति प्रबंधन से लेना होगी। यदि अनुमति प्रदान की गई तो प्रबंधन द्वारा तय की गई शुल्क/चार्जेस स्वीकृत लाइसेंसी को देने होगें। ऐसा शुल्क लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त (अलग) होगा।

20 लाइसेंसी को मत्स्य पालन अधिनियमों का पालन करना होगा।

21 लाइसेंसी अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा लाइसेंस पर दिये गये क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग करने पर अथवा झगड़ा या उपद्रव आदि करने पर पूर्ण जिम्मेदारी लाइसेंसी की ही होगी।

22 लाइसेंसी को शासन द्वारा बनाए गए फिसरीज एक्ट 1940 का एवं इस संबंध में बनाए गए अन्य प्रावधानों को पूर्ण रूप से पालन करना होगा उल्लंघन की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत लाइसेंसधारी का ही होगा।

23 लाइसेंसी मत्स्य पालन के कार्य में म.प्र. शासन एवं मत्स्य विभाग (फिसरीज डिपार्टमेंट) से पूर्ण समन्वय संपर्क रखेगा एवं उनके तकनीकी निर्देशानुसार कार्य करेगा।

24 लाइसेंसी को उक्त स्थान पर बिजली की आवश्यकता होने पर अलग से आवेदन करना होगा। प्रबंधन के अनुमोदन पर उपलब्धतानुसार बिजली का अस्थाई कनेक्शन विद्युत विभाग के नियम एवं शर्तों के अनुसार दिया जाएगा। इसके लिए किया जाने वाला भुगतान लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त होगा। परन्तु प्रबंधन विद्युत कनेक्शन देने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।

25 सारंगपाणी झील के रख-रखाव की पूरी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी। आवष्यक अनुरक्षण का कार्य अपने स्वयं के व्यय पर करेगा।

26 सांरगपाणी झील में मछली पालन के संबंध मे बीएचईएल/शासन द्वारा किसी भी प्रकार का कर यदि आरोपित किया जाता है तो उसे जमा करना/पालन करना लाईसेंसी की जिम्मेदारी होगी, बीएचईएल प्रबंधन किसी भी स्तर पर इसके लिए उत्तरदायी नही होगा। लाईसेंस शुल्क में किसी भी प्रकार का कर सम्मिलित नही है।

27 सांरगपाणी झील में मछली पालन के समय सुरक्षा का सम्पूर्ण ध्यान रखना होगा ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या जनहानी न हो, यदि कोई दुर्घटना होती है तो उस हेतु संबंधितो को मुआवजा देने एवं किसी भी प्रकार के कोई कानूनी दायित्य की समस्त जवाबदारी लाईसेंसी की होगी।

28 पूर्व सूचना एवं कारण बताए बगैर अनुमति/लाईसेंस का प्रतिसंहरण/वापस लेना बी.एच.ई.एल. प्रबंधन के विवेक पर निर्भर रहेगा।

29 लाईसेंसी को सांरगपाणी झील एवं उसके आसपास की साफ सफाई/हरियाली/सुन्दरता बनाये रखना होगा। जल कुम्भी अथवा अन्य जलीय वनस्पतियों आदि को स्वयं के खर्चे पर हटवाकर प्रबंधन द्वारा बताए गए स्थान पर फिकवाना होगा। लाइसेंसी तालाब/झील को ऐसे पौधों से सदैव मुक्त रखेगा।

30 यदि किसी कारणवश लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस अवधि के दौरान कार्य को समाप्त/छोड/निरस्त कर दिया जाता है तो बीएचईएल प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार का बकाया लाईसेंस राशि/ब्याज/प्रतिभूति जमा इत्यादि देय/वापिस नही होगा।

31 लाइसेंसी द्वारा या उसके कर्मचारी द्वारा इस लाइसेंस में दी गई किन्हीं भी बातों का पालन न करने पर या उसकी किसी भी शर्तो का उल्लंघन करने या उसके अनुपालन न करने पर इस लायसेंस को रद्द माना जाएगा ऐसी स्थिति में लाइसेंसदाता सरसरी तौर पर और नोटिस या मुआवजा दिए बिना कभी भी और उन सभी अधिकारों और प्रतिकारों जिसके लिए लाइसेंसदाता इस करार या कानून के अंतर्गत जिसके लिए हकदार होगा उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस परिसर को वापस ले लेगा और लाइसेंस रद्द कर देगा तथा उपर्युक्त प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर लेगा।

32 यदि लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंसी को कोई नोटिस देने की आवश्यकता हुए तो संपदा अधिकारी या लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा नोटिस लाइसेंसी के व्यापार के ज्ञात सही पते पर या उपर्युक्त परिसर में डालकर या चस्पा करके या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजने पर साक्ष्य के रूप में तामील हुआ या लाइसेंसी को प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि कोई नोटिस लाइसेंसी द्वारा संपदा अधिकारी या लाइसेंसदाता द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के नाम पर तामील करना है तो वह ऐसा नोटिस संपदा अधिकारी या लाइसेंसदाता द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के कार्यालय के पते पर रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजने या दिए जाने पर तामील माना जाएगा।

33 लाईसेंस के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन होने पर की गई कार्यवाही/आदेश या लाईसेंस की समाप्ति पर उक्त परिसर का कब्जा 7 दिन के भीतर लाईसेंसदाता को ठीक हालत में सौंप देना होगा।

34 यदि लाईसेंसी 7 दिन के अवधि के भीतर उक्त परिसर खाली नहीं करता तो लाईसेंसदाता को लाईसेंसी के खर्चे और हर्जाने पर उसे बेदखल करने की पात्रता होगी और/या जब तक लाईसेंसदाता को लाइसेंसी से खाली परिसर का कब्जा प्राप्त नही हो जाता तब तक क्षतिपूर्ति के तौर पर रू. 1000/- प्रतिदिन की दर से अन्तःकालीन शुल्क वसूल किया जाएगा।

35 यदि इन शर्तो के अधीन कोई विवाद उठता है तो उसे महाप्रबंधक(मानव संसाधन) बी.एच.ई.एल. भोपाल या उनके द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी को सौंपा जायेगा व उनका निर्णय लाईसेंसी पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

36 बीएचईएल लोक परिसर क्षेत्र में स्थित सांरगपाणी झील में मछली पालन कार्य के लिए दिया गया Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act. 1971 के धाराओं के तहत्/अर्न्तगत अधीन होगा।

37 निविदाकार द्वारा दिये गये दस्तावेजों की पुष्टि हेतु बी.एच.ई.एल. द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज मागें जाने पर प्रदान करना होगा।

38 उपरोक्त किसी भी नियम व शर्तो का उल्लंघन पाया जाता है तो सात दिन के समय का नोटिस देकर लाईसेंस समाप्त किया जा सकता है।

परिशिष्ट 2

तकनीकी निविदा प्रपत्र

बी.एच.ई.एल. उद्योग नगरी में लाइसेन्स आधार सारंगपाणी झील में मछली पालन कार्य की अनुमति हेतु निविदा।

1.निविदाकार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : ____

2. पता :____
____ पिन:__________

3.टेलीफोन नं. ______________ मोबाइल नं. (1)______________ ई-मेल आईडी: ___________________

तकनीकी योग्यता हेतु पात्रता के मापदंड:

तालिका क्र. 2

क्रमांक	मापदण्ड	वांछित दस्तावेज
1.	निविदाकर्ता के पास मछली पालन कार्य हेतु निविदा जारी की जाने की दिनांक से एक माह पूर्व से पिछले सात वर्षों के भीतर का अनुभव होना आवश्यक है। उपर्युक्त पूर्ण किए गए ठेके/कार्य का मूल्य निम्नानुसार में से कोई एक हो: (क) प्रत्येक न्यूनतम रू. 179564/- के तीन कार्य, अथवा (ख) प्रत्येक न्यूनतम रू. 224455/- के दो कार्य, अथवा (ग) न्यूनतम रू. 359128/- का एक कार्य ।	कार्यादेश/लाइसेंस/लाइसेंस अनुबंध आदि एवं कार्य समाप्ति/पूर्णता का प्रमाणपत्र जिसमें कार्य के प्रारंभ किये जाने एवं समाप्ति की दिनांक एवं निष्पादित कार्य के मूल्य का उल्लेख हो। **इसके साथ ही भुगतान का प्रमाण स्वरुप पावती/रसीद/साक्ष्य आदि की प्रति प्रस्तुत करना होगा।**
2.	निविदाकार के द्वारा पिछले तीन वर्षों (अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20) के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार न्यूनतम रु. 134673/- का होना चाहिए।	सहायक दस्तावेज़ के रूप में संबन्धित वित्तीय वर्ष हेतु प्रमाणित लेखा परीक्षा (जैसा लागू हो) / **चार्टर्ड अकाउँटेंट द्वारा प्रमाणित दस्तावेज प्रदान करना होगा।**
3.	निविदा प्रपत्र शुल्क	जमा का विवरण : डीडी क्र. /रसीद नं. .... दिनांक ....
4.	धरोहर राशि (EMD)	जमा का विवरण डीडी क्र. /रसीद नं. .... दिनांक ....
5.	निविदाकार की स्थिति का विवरण : व्यक्ति/भागीदार/ट्रस्टी/संचालक/आदि	स्थिति हेतु संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति
6.	स्थापना की पंजीयन संख्या	पंजीयन पत्र की छायप्रति
7.	निविदाकार का पेन/PAN(आयकर संबंधी)	PAN कार्ड की छायाप्रति
8.	GST क्र. (जैसा लागू हो)	छायाप्रति

मै यह घोषणा करता/करती हूँ कि वर्णित तथ्य /दस्तावेज़ मेरी जानकारी के अनुसार सत्य, सही व पूर्ण है। मै यह भी जानता/जानती हूँ कि अपूर्ण/असत्य जानकारी/दस्तावेज़ जमा करने पर निविदा की किसी भी स्थिति पर निविदा को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं/अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक निविदा पर विचार न करते हुये निविदा अमान्य कर दी जाएगी। बीएचईएल द्वारा आवश्यकता होने अथवा उपर्युक्त जानकारी/दस्तावेज से संतुष्ट न होने की दशा में वांछित दस्तावेज बिना किसी देरी के प्रस्तुत न करने पर मुझे तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने पर मुझे आपत्ति नहीं होगी।

वाणिज्यिक निविदा (परिशिष्ट-3) अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा गया है।

दिनांक ....

स्थान .... निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट 3

बी.एच.ई.एल. उद्योग नगरी में लाइसेन्स आधार सारंगपाणी झील में मछली पालन कार्य की अनुमति हेतु निविदा।

वाणिज्यिक निविदा (प्राइस बिड)
(इसे अलग लिफाफे में बंद करें)

1.निविदाकार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : ____

2. पता :____

____ पिन:____________

3. टेलीफोन नं. _______________ मोबाइल नं. (1)________________ ई-मेल आईडी: ____________________

बीएचईएल द्वारा आरक्षित लाइसेंस शुल्क रु. (प्रथम वर्ष हेतु)	निविदाकार द्वारा उद्धृत (कोटेड) राशि अंकोमें रु. (प्रथम वर्ष हेतु)	निविदाकार द्वारा उद्धृत (कोटेड) राशि शब्दों में (प्रथम वर्ष हेतु)
448910/-		

नोट:

1. द्वितीय वर्ष हेतु प्रथम वर्ष का लाइसेंस शुल्क (उद्धृत शुल्क) पर 10% वृद्धि के साथ लाइसेंस शुल्क द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व देय होगा।
2. यदि शासन द्वारा मछली पालन हेतु कोई कर अधिरोपित किया जाता है तो लाइसेंस प्राप्त कर्ता को उक्त कर देना होगा।

दिशा-निर्देश :-

1. वाणिज्यिक बिड को सीलबंद लिफाफे में अलग से जमा करें।
2. लिफाफे के ऊपर निविदाकार का नाम, पता एवं मोबाइल नं. एवं समूह संख्या स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना अनिवार्य है।
3. निविदाकार द्वारा उद्धृत वार्षिक लाइसेंस शुल्क अंकों एवं शब्दों में लिखा होना अनिवार्य है, अंकों में एवं शब्दों में विभिन्नता की दशा में शब्दों में उद्धृत राशि मान्य की जाएगी।
4. आरक्षित लाइसेन्स शुल्क से कम उद्धत राशि मान्य नहीं होगी।
5. काँट-छांट होने पर निविदा अमान्य की जा सकती है।
6. विवाद की किसी भी दशा में अपर महाप्रबंधक (नगरीय), बी.एच.ई.एल, भोपाल का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

घोषणा:-

मैंने निविदा दस्तावेजों को ध्यान पूर्वक पढ़ और समझ लिया है एवं मुझे निविदा अंतर्गत सभी जानकारी, नियम एवं शर्तें मान्य हैं।

दिनांक : _________ निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर

स्थान: __________